संचिका संख्या– 2/8/लेखा/विविध/आ0प्र0प्रा0–02/2021......................../प्राधि0

बिहार सरकार,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
पंचम तल, सरदार पटेल भवन, पटना–800023

प्रेषक,

मो० वारिस खान, भा०प्र० से०
सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग,बिहार, पटना।

पटना, दिनांक..............................2025

विषयः– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (BSDMA) पटना के लिए आवश्यक्तानुसार स्थानीय/क्षेत्रीय भ्रमण/मासिक भाड़े हेतु विभिन्न प्रकार के वाहनों को भाड़े पर आपूर्ति एवं सेवाओं हेतु निविदा आमंत्रण से संबंधित सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (BSDMA) पटना के लिए आवश्यक्तानुसार स्थानीय/क्षेत्रीय भ्रमण/मासिक भाड़े हेतु विभिन्न प्रकार के वाहनों की आपूर्ति हेतु इच्छुक एजेंसियों से निविदा के आमंत्रण से संबंधित एक सूचना का प्रकाशन प्रमुख हिन्दी दैनिक एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में शीघ्रताशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

निविदा सूचना विज्ञापन के प्रारुप की हार्ड कॉपी 05 प्रतियों में तथा सॉफ्ट कॉपी एक प्रति संलग्न है।

<u>अनु0</u>:– यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-
(मो0 वारिस खान)
सचिव

ज्ञापांकः– ....1811..../आ0प्र0पा0 पटना, दिनांक ...27/6/25

प्रतिलिपि :– श्री मनोज कुमार, तकनीकी सहायक, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं निविदा के अभिलेख के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया निविदा आमंत्रण कागजात को प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsdma.org पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अनु0:– यथोपरि।

27/6/25
सचिव

F.A Sir Data 2021/SP Tender

बिहार सरकार,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
पंचम तल, सरदार पटेल भवन, पटना–800023

निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (BSDMA) पटना के द्वारा समय–समय पर प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय /क्षेत्रीय भ्रमण /मासिक भाड़े हेतु विभिन्न प्रकार के वाहनों को भाड़े पर आपूर्ति एवं सेवाओं की प्राप्ति की जाती है।

उपरोक्त अंकित कार्य/सेवाओं की प्राप्ति हेतु सक्षम इच्छुक निबंधित एजेंसियों से दर निविदा का आमंत्रण किया जाता है। इस निविदा की विवरणी एवं शर्त्ते निम्नवत् है–

क्रम संख्या	विषय	तिथि एवं समय	अभियुक्ति
(क)	वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	16.07.2025	प्रीबीड मिटिंग के प्रश्नों के उत्तर प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगें।
(ख)	प्री–बीड मिटिंग	18.07.2025 अपराहन्– 03:00 बजे	
(ग)	प्रश्नों के उत्तर	23.07.2025 अपराहन्– 02:00 बजे	
(घ)	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	28.07.2025 अपराहन्– 06:00 बजे	
(ङ)	तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा खुलने की तिथि	31.07.2025 अपराहन्– 02:00 बजे	

i. निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
ii. सेवा/सामग्रियों का दर निर्धारण 2025–26 एवं 2026–27 के लिए किया जायेगा।
iii. सेवा/सामग्रियों की आपूर्ति आदेश समय–समय पर प्राधिकरण कार्यालय द्वारा दिया जायेगा। बिना आपूर्ति आदेश के चयनित एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किया जायेगा।
iv. इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया, शर्त्तों आदि की जानकारी तथा सामग्री/सेवा की गुणवत्ता का विस्तृत विवरण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsdma.org पर देखा जा सकता है।
v. किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

27/6/25

(मो० वारिस खान)
सचिव
वि०रा०आ०प्र०प्रा०

A- तकनीकी निविदा की शर्ते

I. निविदादाता को EMD के रूप में 10,000/- (दस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। केन्द्रीय क्रय संगठन / राज्य क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन (एन०एस०वाई०सी०) अथवा संबंधित विभागों में पंजीकृत फर्म को उक्त बोली प्रतिभूति जमा करने में छूट ले सकते हैं बशर्ते तत्संबंधी अभिलेखों की प्रति जिसमे उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया गया हो संलग्न करना होगा।

II. निविदादाता/फर्म/ संस्थान को GST में निबंधित होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन GST Return की कॉपी (माह मार्च 2025 तक) संलग्न करना होगा ।

III. PAN कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा ।

IV. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम / निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में एवं किसी आपराधिक मामलों में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा (Notarized Affidavit) ।

V. निविदादाता द्वारा निविदा में दर्शाए गए सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित हस्ताक्षरित स्वघोषणापत्र शपथपत्र संलग्न करना होगा ।

VI. समरूप मामलों में कार्य करने से संबंधित न्यूनतम एक वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

VII. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न अद्यतन वित्तीय वर्ष 2023–2024 तक का संलग्न करना होगा ।

VIII. निविदादाता को अपने फॉर्म / एजेंसी के नाम से न्यूनतम 02 (दो) वाहन पंजीकृत होना चाहिए, जिसकी सूची (Annexure-IV)निविदा के समय संलग्न करना होगा। निविदादाता को proprietorship/partnership/registered firm/company एवं बाहन का निबंधन बिहार में होना चाहिए । company/firm को समरूप कार्यों में विगत 03 वर्षो के न्यूनतम बार्षिक औसत टर्नओवर 10,00,000/–(दस लाख रूपये) होना चाहिए ।

B- वित्तीय निविदा की शर्ते

I- तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा को खोलने पर विचार किया जायेगा ।

II- निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को Annexure-I, II एवं III के अनुसार वाहन का दर (ईंधन एवं चालक सहित)(without GST) देना होगा। Annexure-I, II एवं III इसके साथ संलग्न है। दर अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा ।

III. निविदादाता का नाम, निविदादाता का पता एवं निविदादाता का मोबाईल नं० के साथ–साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ।

iv. विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के साथ स्पष्ट दर अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

C. अन्य शर्ते

1. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर" बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना में वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा " लिखेंगे एवं निविदा Annexure-I, II एवं III में दर वर्णित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना में वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा लिखेंगे, तत्पश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग लिफाफा के दाहिनी ओर पता सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना, एवं बायीं ओर फर्म का नाम अंकित करेंगे ।
2. निविदादाता सीलबंद निविदा डाक या हाथों–हाथ इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक डाक प्राप्ति शाखा में प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तो को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है ।
4. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
5. निविदादाता निविदा डालने के संबंध में किसी बिन्दु पर जानकारी हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान व्यक्तिगत रूप से आकर Pre Bid Meeting में भाग ले सकते है।
6. वित्तीय निविदा में चयनित् निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए तथा अच्छी हालत में होनी चाहिए ।

7. उक्त सभी वाहन में आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ वाहन साथ साफ सुथरा होनी चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए ।
8. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हौर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए, जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।
9. वाहन को प्राधिकरण/पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बताये गये नियत स्थान पर खड़ा होना चाहिए । यदि वाहन को पेट्रोल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
10. वाहन में मोबाईल चार्जर तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसुस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए ।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का Registration Certificate, Insurance, Pollution Under Control Certificate, चालक के Driving Licence एवं चारित्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति कार्यालय में जमा करना होगा । वाहन का Registration Commercial होना चहिए (पीला प्लेट) ।
12. लॉग बुक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये फारमेट में Maintain करना पड़ेगा ।

प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्वः-

वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मी द्वारा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे :–

1. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे ।
2. चालक एवं कर्मी अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मी से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। निम्न व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा ।
   i. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मी का कर्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता है।
   ii. असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना ।
3. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए, जिससे प्राधिकरण / पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सके ।
4. चालक अपनी कार्यावधि के दौरान हमेशा प्राधिकरण / संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे ।

नियमों का अनुपालन एवं कर :–

1. किराया चार्ज में सभी ईंधन खर्च, अनुरक्षण कल पूर्जा सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रीमियम, रोड टैक्स सम्मिलत है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान BSDMA द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जायेगा ।
2. वाहन आपूर्तिकर्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापाक बीमा Third Party असीमित रिस्क के साथ लेगा। प्राधिकरण किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं Third party को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेवार नहीं होगा ।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता Third Party द्वारा किया गया दावा/वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना के पदाधिकारी/कर्मी को होने वाले नुकसान के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे ।
4. वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम एवं अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए BSDMA जिम्मेवार नहीं होगा ।
5. बाहन आपूर्तिकर्ता न्युनतम मजदुरी अधिनियम, मजदुरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act Workman Compensation Act etc. का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करेंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी / मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का वाहन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराया जायेगा ।
7. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गए वाहन को किसी भी स्थिति में प्राधिकरण के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगें। जितने दिन के लिये ऐसा करते पाये जायेंगें उससे दोगुने दिन के लिए Pro Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी ।
8. प्रतिदिन BSDMA द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन के पहुँचने पर परिचालन हेतु कि०मी० की गणना आरंभ कर प्राधिकरण द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरांत वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निदेश प्राप्त होने तक ही परिचालित किलो

मीटर की गणना की जायेगी। किसी भी स्थिति में शाम को कार्य स्थल रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्यस्थल तक पहुँचने में परिचालित यात्रा का भुगतान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना द्वारा नहीं किया जायेगा और ना ही उसे लॉग बुक में अंकित किया जायेगा ।

9. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
10. माईलेज की गिनती यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न की कोई अतिरिक्त स्थान से ।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल जो नियमों के आलोक में हो समर्पित किया जायेगा एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना वाहन आपूर्तिकर्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा ।
12. Toll Tax, Octroi, Parking Charges And Other Statutory levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो का भुगतान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत बिल/कैस मेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा ।

अतिरिक्त कि०मी० का भुगतानः–

1. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मी जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिए व्यवहार करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने उपरांत पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।
2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना द्वारा प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाले राशि में वाहन आपूर्तिकर्ता को 1500 किलो मीटर तक के परिचालन के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। 1500 कि०मी से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि०मी० का प्रति कि०मी० की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
3. वाहन आपूर्तिकत्ता सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।
4. मासिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार GST-TDS, Income Tax-TDS एवं केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जायेगी।
5. वाहन मासिक वाहन आपूर्ति की स्थिति में आपूर्तिकर्ता द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना के लेखा शाखा में एक उपस्थिति पंजी रखी जायेगी, जिसपर चालक द्वारा प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज किया जायेगा एवं प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चालक अधतन लॉग बुक बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा उपस्थिति पंजी में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज नहीं करने अथवा लॉग बुक जाँच हेतु प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में प्रतिदिन 100/– रू0 के दर से मासिक भाड़े में से कटौती की जायेगी।
6. दैनिक भुगतान के आधार पर यदि वाहन लिया जाता है तो संविदा में तय किये गए प्रति किलामीटर की दर से भुगतान किया जायेगा एवं यात्रा के दौरान चालक के लिए खाने एवं रहने के प्रबंध पर होने वाले सभी व्यय वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।
7. जब भी जितनी संख्या में वाहन की माँग की जायेगी फर्म / संस्था को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अंदर मांग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध करना होगा।

27/6/2021

(मो० वारिस खान)
सचिव
वि०रा०आ०प्र०प्रा०

F.A Sir Data 2021/SP Tender

ANNEXURE-I

"FINANCIAL BID"

(On the Letter Head of Agencies) (Rate in INR)

For Local use (Vehicle with fuel & Driver.) on Daily basis

Sl No.	Type of Vehicle	Rate for Full day (12 Hrs/ 75 Km.)		Rate for Full day (08 Hrs/60 Km.)		Rate for Half day (04 Hrs/60 Km)		Rate for Half day (04 Hrs/35 Km)		Rate for additional per Km	
		AC Vehicle	Non AC Vehicle	AC Vehicle	Non AC Vehicle	AC Vehicle	Non AC Vehicle	AC Vehicle	Non AC Vehicle	AC Vehicle	Non AC Vehicle
1	Scorpio /Ertiga										
2	Swift dezire /Sedan										
3	14-20 Seater Vehicle										
4	Tata Tiago										
5	Pickup Van										
6	Innova crysta										
7	E-vehicle (any company)										
8	Bus (Seater 40, 2*2 push back)										

Notes:- GST Extra as applicable.

एजेंसी का हसस्ताक्षर
(मुहर सहित)

ANNEXURE-II

"FINANCIAL BID"

(On the Letter Head of Agencies) (Rate in INR)

For outstation -on Daily basis							
Sl No.	Type of Vehicle	Rate for basic 200 Km Per day		Night Halt (Rs.)		Rate for additional KM	
		AC Vehicle	Non AC Vehicle	AC Vehicle	Non AC Vehicle	AC Vehicle	Non AC Vehicle
1	Scorpio /Ertiga						
2	Swift dezire /Sedan						
3	14-20 Seater Vehicle						
4	Tata Tiago						
5	Pickup Van						
6	Innova crysta						
7	E-vehicle (any company)						
8	Bus (Seater 40, 2*2 push back)						

Notes:- GST Extra as applicable.

एजेंसी का हसस्ताक्षर
(मुहर सहित)

"FINANCIAL BID"

ANNEXURE-III

Vehicle on Monthly basics (Monthly Rates) (Rate in INR)

	Rates	Innova Crysta (AC)	Rate for additional KM	Scorpio /Ertiga (AC)	Rate for additional KM	Swift Dezire /Sedan (AC)	Rate for additional KM	E-vehicle (AC) (any company)	Rate for additional KM
1	**12 Hrs/ Per day (1500 Km Per Month)**								
2	**Exceeding 1500 Km in a month**								
3	**After 12 Hrs. in a day Extra charge per Hrs.**								

Notes:- GST Extra as applicable.

एजेंसी का हसस्ताक्षर
(मुहर सहित)

ANNEXURE-IV

(वाहनों का विवरण)

(न्यूनत्तम दो (02) वाहनों का विवरण आवश्यक, जिसमें RC, Insurance & Pollution संलग्न की जाय।)

क्र० संख्या	पंजीकरण सं०	स्वामित्व / पटेपर /भाडे पर	मेक एवं मॉडल	मैन्यूफैक्चरिंग तिथि	इन्स्यूरेन्स संख्या एंव वैधता की तिथि	पी०यू०सी० संख्या एव वैधता की तिथि
1.						
2.						

एजेंसी का हसस्ताक्षर
(मुहर सहित